न्यायालय अपर समाहर्त्ता, रॉची

एस0ए0आर0अपील वाद सं0–10 आर.15/07–08

मोहन सिंह मुण्डा – अपीलकर्त्ता

बनाम

मानकी मुण्डा वगैरह – प्रतिवादी

आदेश

10
20-12-2007

यह अपील आर.एम.वाद सं0–14/04–05 में अनुमण्डल पदाधिकारी, बुण्डू द्वारा दिनांक–22.06.2007 को पारित आदेश के विरूद्व दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन प्रतिवादी को वापस करने का आदेश दिया है।

ग्राम	खाता सं0	खेसरा सं0	रकबा
वारूकाण्डे	सी.एस.खेवट नं0	15	120.28 एकड़
	आर.एस.खेवट नं0	4	1549.65 एकड़

अपील आवेदन में कहा गया है कि प्रतिवादी का दावा गलत है। जमीन का किसी प्रकार का हस्तांतरण नहीं हुआ है। सी.एस.खेवट नं0 15 की 1892 में नीलामी बिकी हुई थी। नीलामी बिकी लेने वाले को दखल भी प्राप्त हुआ। रिभीजनल सर्वे में खेवट नं0–4 अपीलकर्त्ता के पूर्वज ठाकुर लक्ष्मी नारायण सिंह मुण्डा के नाम से तैयार हुआ। खेवट नं0–4 के अभ्युक्ति कॉलम में नीलामी बिकी एवं बिकय प्रमाण पत्र के संबंध में विस्तृत विवरण दर्ज है। इस प्रकार इस मामलें में किसी अधिनियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। आवेदन में कहा गया है कि यह मामला कालबाधित है। प्रतिवादी ो जमीन वापसी का मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वे न तो रैयती हैं और न ही मुण्डारी खुटकट्टीदार। खेवट नं0–4 अधिसूचना संख्या–3889 एल.आर.17 फरवरी 1955 द्वारा सरकर में निहित हो गया है। वर्त्तमान में यह मुण्डारी खुटकट्टी नहीं है बल्कि सरकार की जमीन हैं

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना। अपीलकर्त्ता के अधिवक्ता ने बहस में अपील आवेदन के तथ्यों का ही उल्लेख किया। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि नीलामी बिकी विश्वसनीय नहीं है। लक्ष्यमीनारायण सिंह मुण्डा की नाबल्द मृत्यु हो गयी थी। अपीलकर्त्ता उनके वारिस नहीं है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस भी दाखिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि आर.एस.खेवट नं0–15 के अन्तर्गत कई खाते हैं जिसमें गैरमजरूआ खास एवं आम भूमि भी शामिल है। अपीलकर्त्ता का दावा सिर्फ खाता नं0–1 की 5.47 एकड़ जमीन पर है जो खतियान में बकास्त लगान पानेवाला ठाकुर लक्ष्मी नारायण सिंह के नाम दर्ज है। लक्ष्मी नारायण सिंह ने अवैध रूप से चामु सेठ की जमीन हस्तांतरण किया था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी द्वारा चामु सेठ के विरूद्व जमीन वापसी हेतु एस0 ए0 आर0 वाद सं0–24/70–71 दायर किया था जिसमें जमीन वापसी का आदेश हुआ एवं दखल देहानी भी प्राप्त हुआ।

वर्त्तमान वाद में उपलब्ध सभी दस्तावेज और निम्न न्यायालय के वाद में उपलबध कागजात तथा उभय पक्षों के बहस के बाद यह स्पष्ट है कि विवादास्पद खेवट सं0–4 सरकार में निहित हो गई। लेकिन निम्न न्यायालय ने पुनर्रीक्षण सर्वे(आर.एस.सर्वे) के पूर्व के तथ्यों का संज्ञान लिया है जो कि उचित नही है। पुनर्रीक्षण सर्वे हो जाने के बाद पुनर्रीक्षण सर्वे के खतियान में दर्ज इन्दराज की ही नियमानुसार मान्यता दी जा सकती है।

खेवट सं0–4 राज्य सरकार के अधिसूचना सं0–3889 एल.आर. 17 फरवरी–1955 के द्वारा सरकार में निहित हो गई है। खाता सं0–1 के अन्तर्गत कुल 5.47 एकड़ भूमि बकास्त मालिक है। खतियान में लगान पाने वाला ठाकुर लक्ष्मी नारायण सिंह है। वर्त्तमान अपीलकर्त्ता उनके उत्तराधिकारी है।

अतः निम्न न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए वर्त्तमान अपील स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

दिनांक–20.12.2007

अपर समाहर्त्ता,
रॉची।